

GCMs No.  
2021  
220

उपरोक्त विषयान्तर्गत विवेचन है कि प्रार्थी अवधेश पूरिया ग्राम उदेई कलो निवासी है। ग्राम उदेई कलो की जमाबन्दी में खाता नम्बर 3/4 पर प्रार्थी का नाम/जाति पूरिया के स्थान पर राजपूत करने का कष्ट करे।

नाम अवधेश  
 पिता का नाम राजपूत  
 जाति पूरिया निवासी उदेई कलो

रिपोर्ट दिनांक: .....

प्रार्थी अवधेश पुत्र मोरी के प्रार्थना पत्र पर मजमें आम में जानकारी ली गई है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र व पहचान हेतु दरतावेज पेश किये हैं। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति पूरिया के स्थान पर राजपूत करने में किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम/जाति पूरिया के स्थान पर उसका नाम/जाति राजपूत करना उचित होगा।

भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त  
 08-10-2021

पटवारी हत्का  
अवधेश

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापूर सिटी

क्रमांक :- भूअ./ रा लो अ/2016/

दिनांक

रिपोर्ट पटवारी एवं जाच भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी अवधेश आत्मज मोरी जाति पूरिया निवासी उदेई कलो के खाते उदेई कलो ग्राम उदेई कलो के नाम दर्ज नाम/जाति पूरिया के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भूअ) अभि०  
 गंगापूर सिटी  
 गंगापूर सिटी (स०मा०)  
 कैम्प

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापूर सिटी

क्रमांक :- राजस्व/ रा लो अ/2016/63

दिनांक :- 8/10/2021

स्वीकृति आदेश

तहसीलदार गंगापूर सिटी की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री अवधेश पुत्र श्री मोरी जाति पूरिया निवासी उदेई कलो का नाम/जाति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पूरिया के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की स्वीकृति जाती है। उपरोक्त में दर्ज अन्य प्रार्थियों का सम्बन्ध नहीं।

उपखण्ड अधिकारी  
 गंगापूर सिटी  
 कैम्प गंगापूर सिटी

